

AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189



महिला उद्यमियों की समस्याएं एवं सरकारी पहल

डॉ. मधुकर श्याम शुक्ला,
एसो० प्रो० एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग
एस०एस० (पी०जी०) कॉलेज शाहजहांपुर,
उत्तरप्रदेश, भारत

डॉ. राम शंकर पाण्डेय,
असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग
एस०एस० (पी०जी०) कॉलेज शाहजहांपुर,
उत्तरप्रदेश, भारत

शोध सार

आज के युग में उद्यमिता, छोटे और मंझले उद्योगों से सम्बन्धित गतिविधियाँ अपनाने वाली महिलाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही हैं। महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्योगों की संख्या भारत के लगभग सभी प्रदेशों में बढ़ रही हैं। महिला उद्यमी अन्य महिलाओं को भी कारोबार में आने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे श्रम शक्ति में स्त्री पुरुष की संख्या की असमानता कम करने में सहायक है। विकासशील तथा विकसित देशों ने इस बात का अनुमान किया है कि देश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा स्टैंड अप इण्डिया, स्टार्ट-अप इण्डिया और मुद्रा योजना जैसी योजनाओं से उद्यमिता को बढ़ावा देने के कारण भी रोजगार के अवसर बढ़ गये हैं। आज ग्रामीण और शहरी गरीबी की समस्या के समाधान हेतु महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिला उद्यमिता से परिवार एवं समाज को आर्थिक रूप से खुशहाली लाने, गरीबी मिटाने, और महिला सशक्तिकरण में मदद मिलती हैं जिससे सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एस०डी०जी०एस०) को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार इन महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं बना कर इन्हे समाज की मुख्य धारा में जोड़ना चाहती हैं, परन्तु इन महिलाओं की अनेक सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं हैं। इन समस्याओं से कैसे बचा जायें? सरकार विपरीत परिस्थितियों में भी इनकी मदद कैसे करेगी? इन सब प्रश्नों के जबाव समय देगा।

मुख्य शब्द

उद्यमिता, स्टैंड-अप इण्डिया, सूचना तकनीकी, सशक्तीकरण, आत्मनिर्भर।

प्रस्तावना

महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है यह दिवस पेट पायनियर एनिमल फेयर मीडिया के संस्थापक और एलिस आइलैण्ड मेंडल ॲफ ॲनर प्राप्तकर्ता वेडी डायमंड द्वारा सर्वप्रथम मनाया गया था। 15 जुलाई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए स्किल इडिया (कौशल भारत—कुशल भारत) की परिकल्पना साकार करने एवं इसे लागू करने हेतु जिम्मेदारी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एम०एस०डी०ई०) को सौंपी, जो पूरे देश में अनेक प्रकार के कौशलों के विकास के लिए जिम्मेदार है। भारत में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु केन्द्र व राज्य सरकारों के द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। ये कार्यक्रम न केवल महिलाओं के कौशल विकास के द्वारा रोजगार, स्वरोजगार व उद्यमिता हेतु सहायता प्रदान करते हैं, बल्कि इस प्रक्रिया हेतु सभी प्रकार की सुविधाओं को उनके पास पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इन कार्यक्रमों में महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सुविधा देने के साथ रोजगारों का सृजन हेतु अनेक प्रकार के उद्यमों को शुरू करने की सहायता भी दी जाती है। वर्ष 2017 में भारतीय महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु हैदराबाद में नीति आयोग व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित

ग्लोबल एंटरप्रेन्योशिप समिट के दौरान 'महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म' पर विचार किया गया जिसे 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत में महिला उद्यमिता हेतु शुरू किया गया इस कार्यक्रम के द्वारा महिलाओं में उद्यमशीलता, बाजार व वित्त सम्बन्धी जानकारी एवं जागरूकता सम्बन्धी जानकारी देकर उन्हें जागरूक करना है।

भारत की जनसंख्या 133 करोड़ से अधिक है। कुल 5.86 करोड़ करोबारी में से लगभग 80.5 लाख यानि 13.76 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम महिलाओं के स्वामित्व में है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के (कुल उद्यम में से 22.24 प्रतिशत) स्वामित्व वाले उद्योगों की संख्या अधिक है।

जबकि शहरी क्षेत्र में महिलाओं के कुल उद्यम में से 18.42 प्रतिशत स्वामित्व वाले उद्योगों के कार्यस्थल में विविधता और स्थिति की दृष्टि से जबरदस्त बदलाव आये हैं। 1950 के दशक में उद्यमी महिलाओं की दो श्रेणियां हैं:-

- (अ) ऐसी महिलायें जिनके घर में कोई भी कामकाजी पुरुष नहीं था, उन्हें परिवार की रोजी रोटी चलाने हेतु स्वयं कार्य करना पड़ा।
- (ब) ऐसी महिलायें जो अपने दम पर कुछ कर दिखाने की तमन्ना रखती थी।

1970 के दशक में महिलाओं ने उद्योगों के लिए कार्य किये और स्वरोजगार क्षेत्र में आगे आयी। इसी प्रकार 1980 के दशक में तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। 1990 के दशक की महिलायें निर्भीक, सक्षम, योग्य और विश्वास से भरी हुई थी। उनका लक्ष्य स्पष्ट था कि वह अकेले अपने दम पर कार्य कर सकती हैं। 20वीं सदी की महिलायें दूरसंचार, सूचना, तकनीक और वित्तीय जानकार थी। भारत के कई प्रमुख उद्योगों की स्वामी महिलाएं हैं जो अपने दम पर निर्णय लेती हैं। महिलाओं के उत्थान में सरकार भी समय-समय पर योजनाओं के द्वारा इन्हें प्रोत्साहित करती हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध पत्र के अध्ययन का उद्देश्य निम्न हैं:-

- समाज में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना।
- महिला उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण करना।
- सरकार के द्वारा योजनाओं के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करना तथा यह ज्ञात करना कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, अथवा नहीं।
- उद्यमी महिलाओं का पंजीकरण करना।
- उद्यमी महिलाओं की समाज में आर्थिक स्थिति कैसी हैं।
- महिलाओं के परिवार की जानकारी प्राप्त करना।

अध्ययन पद्धति

"महिला उद्यमियों की समस्याएं एवं सरकारी पहल" विषय पर किये जाने वाले शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयिक समकाँ का प्रयोग किया जायेगा।

प्राथमिक स्रोत

1. महिला स्वामित्व वाले ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम में कार्यरत महिलाओं का व्यक्तिगत साक्षात्कार से उनकी स्थिति ज्ञात करना।

2. सरकार तथा महिला उद्यमियों के बीच बातचीत करना।

द्वितीयक स्त्रोत

1. उद्यमिता मंत्रालय के अन्तर्गत महिला स्वामित्व के पंजीकरण की संख्या ज्ञात करना तथा गत वर्षों से तुलना करना।
2. विभिन्न समाचार पत्रों/टीवी/वेबसाइटों/पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उद्यमी महिलाओं की जानकारी प्राप्त करना।

उद्यमी महिलाओं की परिभाषा एवं आवश्यकता

एक महिला उद्यमी को आत्मविश्वासी, अभिनव और रचनात्मक महिला के रूप में परिभाषित किया जाता है जो व्यक्तिगत या दूसरों के सहयोग से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम है और दूसरों के लिए रोजगार के अवसरों का सज्जन करती हैं। जिनके मार्गदर्शन में उद्योग उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं तथा जो समाज के आर्थिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।

भारत जैसे विकासशील देश में महिला उद्यमियों की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा स्टैंड-अप इण्डिया, स्टार्ट-अप इण्डिया और मुद्रा जैसी अनेक योजनाओं के जरिये महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के कारण भी रोजगार और आजीविका के अवसरों पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। भारत में वर्तमान और भविष्य के महिला रोजगार सृजन हेतु अधिक संख्या में महिला उद्यमियों की आवश्यकता है, जिनका विवरण है:—

1. महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा नया कारोबार शुरू करने में अधिक सक्षम होती हैं, जो खास बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हैं।
2. महिलाओं को आर्थिक रूप से सम्पन्न होने से भावी पीढ़ियों को भी फायदा होगा, क्योंकि वे अपना अधिक से अधिक समय बच्चों की देखभाल पर खर्च करती हैं।
3. महिला उद्यमी दूसरी महिलाओं को भी व्यापार करने हेतु प्रोत्साहित करती हैं। इससे महिलाओं के लिए रोजगार के नये अवसर उत्पन्न होते हैं तथा श्रम शक्ति में स्त्री पुरुष का अन्तर भी कम होगा।
4. किसी भी उद्योग के विकास और उन्नति के लिए सकारात्मक संस्कृति का विकास और संरक्षण आवश्यक है, जिसके लिए समाज एवं सरकार को पहल करनी होगी।
5. महिलाओं के नेतृत्व अथवा स्वामित्व वाले उद्योगों में बेहतर कम्पनी, संस्कृति, उच्च आदर्श तथा पारदर्शिता, देखने को मिलती हैं।
6. महिला स्वामित्व वाली कम्पनियों में महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है।

महिला उद्यमियों हेतु अवसर

कारोबार के क्षेत्र में महिला उद्यमियों के लिए अनेक अवसर हैं:—

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र की अधिक से अधिक महिला कारोबारी अपने परम्परिक उद्यमों जैसे— हथकरघा और हस्तशिल्प, आचार बनाने, ब्यूटी पार्लर व बेकरी चलाने में लगी हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्र का सामान बनाने, सजावटी समान, दरी एवं गलीचे बनाना, कैलेडरिंग विशेषज्ञ, हैडलूम टेक्नोलॉजिस्ट जैसे अवसर भी उपलब्ध हैं।
2. प्री-नर्सरी शिक्षा से इंटरमीडिएट तक की स्कूली शिक्षा, पूरक शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान आध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए एक मंच बनाना, स्कूलों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई हेतु स्कूलों के लिए आंतरिक प्रशासन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भी महिला उद्यमियों के लिए नये अवसर उपलब्ध कराता हैं।
3. सौदर्य और आरोग्य उद्योग की बहुत ही सम्भावनाएं हैं, विशेषकर पोषण, फिटनेस, ब्यूटी सैलून, जिस स्वच्छता से सम्बन्धित उत्पाद, सौदर्य विशेषज्ञ, योग और फिटनेस विशेषज्ञ क्षेत्र में भी अनेक प्रकार की संभावनाएं और अवसर महिलाओं हेतु उपलब्ध हैं।

4. पर्यटन क्षेत्र के साथ—साथ ऑनलाइन कारोबार क्षेत्र ने भारत सहित पूरे विश्व में अपनी पकड़ मजबूत की है महिलाओं के लिए ब्लॉगर, सलाहकार, विशेषज्ञ, रिटेलर, सोशल मीडिया, वेबडिजाइन, रिमोर्ट तकनीकी सहायता एप्लिकेशन डेवलेपमेंट, के क्षेत्र में भी महिला उद्यमियों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध हैं।
5. कृषि क्षेत्र में जबरदस्त विकास के साथ एग्रीकलीनिक, फलों और सब्जियों के लिए प्रशीतन भंडारण, पशुधन आहार उद्योगों, चावल मिल, बेकरी, चिप्स उद्योग, तेल उत्पादन, दाल मिल, व्यवसाय, मसाला उद्योग, डिब्बाबन्द खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में भी काफी प्रबल संभावनाएं और अवसर महिला उद्यमियों हेतु उपलब्ध हैं।

महिला उद्यमियों की समस्याएं

भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ० ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा था कि ‘महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाना अच्छे राष्ट्र के निर्माण की पहली शर्त है। जब महिलाये आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं तो समाज की स्थिरता भी सुनिश्चित हो जाती है। महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत जरुरी है। क्योंकि उनके विचार और मूल्य प्रणाली से अच्छे परिवार, अच्छे समाज, और अन्ततः अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है।’ परन्तु महिला उद्यमियों के सामने अनेक बाधाएं/चुनौतियां/समस्याएं हैं, जिनका वर्णन निम्न हैं:-

1. **पुरुषों से प्रतिस्पर्धा:** अधिकांश उद्योगों पर पुरुषों का स्वामित्व होता है तथा वे महिलाओं के प्रति उदासीनपूर्वक दष्टिकोण रखते हैं। एक ही प्रकार के उद्योग में महिलाओं को पुरुष उद्यमियों का सहयोग मिलने की अपेक्षा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।
2. **आत्मविश्वास की कमी:** उद्योगों में क्रियाकलापों, मीटिंग, सेमीनारों एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियों में पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं जुटा पाती उनके द्वारा दिये गये सकारात्मक एवं उपयोगी सुझावों तथा प्रस्तावों को भी पुरुषों द्वारा नकार दिया जाता है।
3. **पारिवारिक समस्याएं:** महिला उद्यमियों द्वारा व्यवसायिक दायित्वों के अतिरिक्त पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वहन करना होता है। पुरुष प्रधान कार्यों एवं सेवाओं में जाने से महिलाये सकुचाती हैं।
4. **गतिशीलता की समस्याएं:** महिला उद्यमी एक कारोबार को छोड़कर दूसरे कार्य में जाने से हिचकिचाती है, क्योंकि वे जोखिम उठाना नहीं चाहती।
5. **निर्णय लेने की क्षमता का अभाव:** महिला उद्यमी अपने कारोबार को चलाने के लिए अपने पति, पुत्र, भाई, रिश्तेदार या पुरुषों की सलाह पर निर्भर रहती है। वह शीघ्र निर्णय लेने में असमर्थ रहती हैं।
6. **अन्य समस्सायें:** महिला उद्यमियों को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है:-
 - विपणन एवं बिक्री सम्बन्धी समस्याएं।
 - वित्त की समस्या एवं कच्चे माल की समस्या।
 - शिक्षा की कमी।
 - सरकारी योजनाओं की सूचना का अभाव।

महिला उद्यमियों हेतु सरकारी पहल

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का उद्देश्य “कुशल भारत” को प्राप्त करने हेतु त्वरित और उच्च मानदण्डों के साथ लोगों को कुशल बनाना हैं जिसके लिए सरकार के द्वारा निम्न प्रयासों के माध्यम से इन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन प्रयासों में महिला उद्यमियों हेतु प्रयास निम्न हैं:-

1. **बिजनेस सखी:** वर्ष 2018 में महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए निस्बत ने यू.एन.डी.पी. के साथ सहयोग से एन.आई.ई.आर. तथा टी.आई.एस.एस. द्वारा संयुक्त रूप से विकसित नई अवधारणा पेश की जो बिजनेस सखी के नाम से प्रचलित है जो महिलाओं को उद्यमी बनाने के साथ—साथ कारोबार में हर स्तर पर बाधाओं का सामना करने वाली महिलाओं के लिए आवश्यक है।

2. **अन्नपूर्णा योजना:** इस योजना के अन्तर्गत फूड कैटरिंग का उद्योग करने वाली महिला उद्यमियों को सरकार के द्वारा 50 हजार रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसका प्रयोग उद्यमी अपने बर्तन, गैस कनेक्शन, फ्रिज, मिक्सर, बर्तन रखने के स्टैण्ड, मेज, वाटर फिल्टर तथा टिफिन बॉक्स को खरीदने में कर सकती हैं। ऋण पर ब्याज की दर बाजार और बैंक पर निर्भर करती है। इस योजना के क्रियान्वयन भारतीय महिला बैंक कर रही हैं।
3. **महिला उद्यमियों हेतु स्त्री शक्ति पैकेज़:** इसके अन्तर्गत उन्हीं लघु उद्योगों को ऋण मिलता हैं जिनमें किसी महिला का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक है। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को 2 लाख से अधिक ऋण पर ब्याज में 0.05 प्रतिशत की छूट मिलती है। छोटे सेक्टर्स के कारोबार के लिए 5 लाख रुपये तक के लोन के लिए किसी भी जमानतीदार की आवश्यकता नहीं होती है।
4. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना:** इस योजना के अन्तर्गत महिला उद्यमियों के लिए ब्यूटी पार्लर, टयूशन सेंटर, टेलरिंग, आदि के लिए 50,000 से 50 लाख तक का ऋण दिया जाता है। **?????** लाख तक के ऋण के लिए कोई गांरटी नहीं ली जाती है।
5. **महिला उद्यम निधि योजना:** पंजाब नेशनल बैंक और सिड्डी के द्वारा 10 लाख तक का ऋण ऐसी उद्यमी महिलाओं को दिया जाता हैं जो छोटे स्तर पर अपना कारोबार शुरू करना चाहती हैं। इस ऋण को 10 साल के अन्दर चुकाना होता है।
6. **देना शक्ति योजना:** इस योजना के अन्तर्गत देना बैंक, कृषि, विनिर्माण, माइक्रो क्रेडिट, सुरक्षा स्टोर, के लिए महिलाओं को 20 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है।
7. **भारतीय महिला बैंक कारोबारी ऋण:** यह योजना भारतीय महिला बैंक द्वारा शुरू की गई थी। यह 20 करोड़ तक का ऋण 7 साल की अवधि के लिए देता है। इसमें महिला उद्यमियों को 0.25 प्रतिशत की रियायत दी जाती है।
8. **ओरिएटल महिला विकास योजना:** ओरिएटल बैंक ऑफ कामर्स उन महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करता हैं जो व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से स्वरोजगार की मालिक हैं, महिला हैं। महिला उद्यमियों को लघु उद्योग के लिए 10 लाख से लेकर 25 लाख तक का ऋण 7 साल की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें महिला उद्यमियों को 2 प्रतिशत ऋण ब्याज दर रियायत भी दी जाती है।

निष्कर्ष

महिला उद्यमिता आज आर्थिक चुनौतियों से निबटने के लिए भरपूर क्षमता रखती है। वर्ष 2019 में महिला उद्यमी सूचकांक के 57 देशों में भारत का 52 वाँ स्थान है। मीडिया महिलाओं में नवाचार और उद्यमिता को अनेक मंचों पर उजागर करता है। विकासशील देश में तो महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है क्योंकि महिला जनशक्ति बड़ी आसानी से उपलब्ध होने वाली श्रमशक्ति है। उसकी मदद से कारोबारी उपक्रमों की क्षमताओं का फायदा उठाया जा सकता है। महिलाएं कारोबार करने और देश की उन्नति में अपना योगदान देने को तैयार है इसीलिए महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक योजनाओं के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। इसे अपने समाज उसकी सोच को भविष्योंन्मुखी रोजगारोन्मुखी, बाजारोन्मुखी, तकनीकों उद्यमियों को हर संभव मदद देनी होगी तथा उनका मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। केन्द्र और राज्य सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है, जो कि पर्याप्त नहीं हैं और महिला उद्यमियों के लिए बड़े स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। शिक्षा व कौशल विकास को महिला उद्यमिता, रोजगार तथा स्वरोजगार से जोड़ने हेतु जमीनी स्तर पर कार्य करने का अवसर है ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को गरिमापूर्ण आर्थिक जीवन प्रदान कर सकें।

महिला उद्यमिता से महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ आत्मविश्वास, प्रबन्धकीय कौशल, बाजार के अनुरूप उत्पादन, निर्णय लेने की क्षमता का विकास तथा वितरण कर समाज में सम्माननीय जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. भारतीय अर्थव्यवस्था – मिश्रा एवं पुरी।
2. भारतीय जनानाकीय – डॉ. जोपी भिश्रा।
3. उद्यमिता के मूल आधार – डॉ. प्रवीण कुमार अग्रवाल एवं डॉ. अवनीश कुमार मिश्रा।
4. भारत में उद्यमिता – कलराज मिश्र।
5. उद्यमिता – डॉ. वी. के. मेहता।
6. उद्यमिता का विकास – मेहता अग्रवाल।
7. महिला उद्यमिता को बढ़ावा – सिड्बी की हैन्डबुक।
8. भारतीय आर्थिक समस्याएं – प्रो. बी. एल. ओझा एवं मनोज कुमार ओझा।
9. रोजगार समाचार Volume-49, 3-9 March 2018. महिला उद्यमियों की अग्रणी भूमिका।
10. भारत में महिला उद्यमी – दृष्टि आई. ए. ए. स०।
11. योजना मासिक पत्रिका – सितम्बर 2018।
12. कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका – फरवरी 2020
13. सरकार द्वारा संचालित उद्यमी महिलाओं के लिए योजनाओं का अध्ययन।

====00=====